www.aisectuniversityjharkhand.ac.in | Follow us on:

AISECT UNIVERSITY™

JHARKHAND, HAZARIBAG AN AISECT GROUP UNIVERSITY

Recognized by : UGC

(B.A. History Hon's - Sem V)

(History of Jharkhand 1900 AD to 2000 AD)

Contact us:

8252299990

8404884433

AISECT University, Hazaribag

Matwari Chowk, in front of Gandhi Maidan, Hazaribag (JHARKHAND)-825301

www.aisectuniversityjharkhand.ac.in info@aisectuniversityjharkhand.ac.in

History of Jharkhand 1900 AD to 2000 AD

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908

यह ऐक्ट जमींदारों एवं रैयतों के तनाव को कम करने तथा भू–अधिकार एवं लगान निर्धारण को कानूनी रूप प्रदान करने के लिए लाया गया था। यह एक्ट इस पारंपरिक धारणा को स्थापित करता है, कि जमीन व्यक्तिगत संपत्ति नहीं, बल्कि सामाजिक संपत्ति है। इसे 'आदिवासी जमीन का सुरक्षा कवच कहा जा सकता है। यह एक्ट मुख्य रूप से अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग के रैयतों से संबंधित प्रावधान है।

यह काश्तकारी अधिनियम पूर्व के सभी सर्वे, सेटलमेंट एवं काश्तकारी अधिनियमों को आधार बनाकर तैयार किया गया था। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने 29 अक्टूबर, 1908 ई0 को इस अधिनियम को अपनी मंजूरी दी तथा कलकत्ता गजट में नवंबर, 1908 ई0 को इसका प्रकाशन किया गया एवं इसी तिथि से यह छोटानागपुर में प्रभावी हुआ। छोटानागपुर के जमींदारों एवं भू–धारियों के संबंधी एवं लगान निर्धारण के कानूनों को संशोधित और एकत्रित करने की आवश्यकता इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था।

मुख्य प्रावधान – इस एक्ट में विभिन्न विषयों पर 19 अध्याय, 271 धाराएँ और दो अनुसूची है।

धारा 3 – इस एक्ट में भूधारी उसे माना गया है, जो दूसरे व्यक्ति के अधीन जमीन धारण करता है और उस व्यक्ति को वह लगान देता है।

जमींदार वह व्यक्ति है, जिसके अधीन एक भूधारी जमीन रखते है।

ग्राम प्रधान वह व्यक्ति है, जो एक या कई गाँवों का प्रधान व्यक्ति हो और जो क्षेत्र में मानकी, मुंडा, प्रधान ठेकेदार आदि पदनामों से पुकारा जाता हो।

राजस्व अधिकारी या उपायुक्त वह व्यक्ति है, जिसे राजस्व वसूलने के लिए सरकार ने लिखित रूप से अधिकृत किया है।

मुख्य विशेषताएँ –

यह अधिनियम काश्तकारों का वर्गीकरण करते हुए खूंटकट्टी रैयत एवं मुंडारी खूंटकट्टीदार को अलग से वर्गीकृत करता ळें

इस एक्ट के अनुसार रैयत ऐसा व्यक्ति है, जो स्वयं प्रारंभिक तौर या अपने परिवार के सदस्यों या भाड़े के सेक्कों द्वारा या भागीदार द्वारा खेती के प्रयोगार्थ भूमि धारण करने का अधिकार अर्जित किया हो।

ऐक्ट के अनुसार मुंडारी खूंटकट्टीदार रैयत नही है, परन्तु मुंडारी खूंटकट्टीदार के अधीन भूमि धारण करने वाला व्यक्ति रैयत माना जायेगा।

मुंडारी खूंटकट्टी न तो भू–धारक है और न तो रैयत, बल्कि वह काश्तकार का अलग स्वतंत्र वर्ग हैं, जिसके विषय में अधिनियम के अध्याय 18 में विशेष प्रावधान है।

मुंडारी खूंटकट्टी अपनी भूमि को धार्मिक व शैक्षणिक दान हेतु या राष्ट्रीय हित में हस्तांतरित कर सकता है, परन्तु इसके लिए उपायुक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा हस्तांतरण को निबंधित करना होगा।

मुंडारी खूंटकट्टी भूमि पर विशेष परिस्थिति एवं उपायुक्त के आदेश से ही लगान में वृद्धि संभव थी।

1908 के ऐक्ट ने पेठ–बेगारी को भी नियंत्रित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत बेगारी को रकूमत मे ंसामंजित कर लिया गया।

ऐक्ट की धारा 21 मे प्रावधान किया गया है कि कोई भी रैयत स्थानीय रीति–रिवाज के अनुसार भूमि का उपयोग कर सकता है। किन्तु वह भूमि का ऐसा उपयोग नहीं करेगा, जिससे कृषि योग्य भूमि के स्वरूप में परिवर्तन होता है।

धारा 72 के अनुसार, किसी भी रैयत को अपनी जमीन जमींदार को इस्तीफे का अधिकार है।

ताना भगत आंदोलन

अप्रैल 1914 ई0 में छोटानागपुर में ताना भगत आंदोलन शुरू हुआ। इस आन्दोलन का सूत्रधार गुमला जिले के बिशुनपुर थानान्तर्गत चिंगरी नावाटोली का जतरा उरांव था जिसे शुरू में अपने मात्र 20 अनुयायियों के साथ इस असहयोग आंदोन को शुरू किया। ताना भगत आन्दोलन शुरूआत में धार्मिक पुनरूत्यान का आन्दोलन था, लेकिन आगे चलकर कृषक आंदोलन में परिणत हो गया।

जतरा का जन्म 1888 ई0 के आश्विन तिथि की अष्टमी को लिबरी और कोंडल उरांव के घर हुआ था। अंग्रेजी माह के अनुसार यह तिथि 10 अगस्त पड़ता है और इसी लिए इस तिथि को जन्म दिवस मनाते है। जतरा की पत्नी का नाम बंधनी उरांव था। उसकी 6 संतानें थीं – 4 पुत्र और दो पुत्रियाँ। जतरा शांत और गंभीर प्रकृति का बालक था। पिता ने गांव वालों के कहने पर उसे 'ओझा' बनाने की सोची। आगे चलकर जतरा ने तंत्र–मंत्र और जड़ी–बूटी का ज्ञान अपने गुरू तुरिया भगत से सीखने लगा। इस कारण भूत से डरना नहीं बल्कि उसे भगाना चाहिए। जतरा ने एक घटना के कारण जीव हत्या न करने का संकल्प लिया और उसके प्रचार का निर्णय लिया।

अपने विचारों के फैलाव के लिए उसने जो आंदोलन चलाया उसे 'ताना भगत आंदोलन' के नाम से जाना जाता है।

जतरा ने भूतों को भगाने की एक नीति अपनायी। गाँव के एक छोर से दूसरे छोर तक लोग खड़े हो जाते थे और रात को चिल्लाते हुए गाँव से भूत को बाहर भगाते थे।

धीरे–धीरे जतरा के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। लोग उसके प्रवचन को ध्यान से सुनते थे और भूत भगाने का उसका उपाय कारगर होता था। लोग उसके कहने पर कुछ भी करने को तैयार थे। उराँवों की आर्थिक स्थिति को देख कर जतरा अक्सर चितिंत रहता था और उसे दूर करने के उपाय करता था। उरांवो की गरीबी के दूर करने के उसे तीन उपाय दिखे, जो परस्पर संबंधित थे। जो सामाजिक सुधार, धार्मिक सुधार और आर्थिक सुधार। लेकिन मुख्य सुधार आर्थिक सुधार ही था, क्योंकि बाकी सुधार इसी से संबंधित थे। जतरा सुधार के तीनों रूपों को एक साथ लेकर चला। वास्तव में जतरा पर वैष्णव धर्म का प्रभाव था और उसके उपदेश इस मत से प्रभावित थे। जतरा के उपदेश का जादू ऐसा चला कि उरांवो के अतिरिक्त मुंडा, खड़िया और कई गैर–जनजातियाँ भी उसके मत को मानने लगी। जतरा की बातें उरांवों के मन में बैठ गयी। उन्होंने निश्चय किया कि वे किसी दूसरी जाति का काम नहीं करेंगे। जमींदारों के खेत और घर दोनों में सन्नाटा पसर गया।

जतरा प्रभाव के कारण उरांवों ने जमींदारों का काम करना बंद कर दिया। फलस्वरूप उनके खेतों में न हल चले और न दी खेती हो सकी। खेत परती रह गये। जमींदारों को लगने लगा कि जतरा को सबक सिखाना जरूरी। जबतक जिंदा रहेगा परेशानी का कारण बनेगा। जमींदारों ने जतरा को गिरफ्तार करवा दिया। दंगा–फसाद का आरोपी बनाकर डेढ़

वर्ष का सजा सुनाया गया। बाद में उसे इस शर्त पर छोड़ा गया कि वह अब अपने मत का प्रचार नहीं करेगा और शांति बनाये रखेगा। जेल में उसे काफी प्रताड़ना दी गयी थी। उसका पूरा शरीर टूट चुका था। वह पुनः नही उठ सका। जेल से छूटने के दो माह के भीतर जतरा भगत की 28 वर्ष की अवस्था में मौत हो गयी। उसके बाद जतरा के शिष्य शिवभगत और शिष्या देवमुनी ने आंदोलन का बागडोर थामा।

असहयोग आंदोलन

प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात् ब्रिटेन ने तुर्की में खलीफा को सत्ता से हटा दिया। भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपने धार्मिक नेता 'खलीफा' के रूप में मानते थे। 1919 ई0 में एक खिलाफत कमेटी का गठन किया गया और देशव्यापक आंदोलन शुरू किया गया। खिलाफत कमेटी ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार और 'असहयोग' का आह्वन किया। गाँधीजी ने इस आंदोलन को अंग्रेजों के विरूद्ध हिन्दू–मुस्लिम एकता स्थापित करने के अवसर के रूप में देखा। जून 1920 ई0 में खिलाफत कमेटी और कांग्रेस के नेताओं ने असहयोग का कार्यक्रम घोषित किया गया। जिसमें सरकारी उपाधियों वे नौकरियों के बहिष्कार तथा कर ना अदायगी का कार्यक्रम शामिल था। असहयोग प्रस्ताव को अनेक आपसी विरोध तथा विवादों के बावजूद दिसम्बर, 1920 ई0 में नागपुर में कांग्रेस की बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इस बैठक में शिक्षा के राष्ट्रीयकरण, स्वदेशी को बढ़ावा, चरखे व खादी को लोकप्रिय बनाने तथा स्वयंसेक्कों की भर्ती जैसे रचनात्मक कार्यो एवं कानूनी अदालतों, शैक्षिक संस्थाओं, विधायिका के चुनाव, सरकारी सम्मान व उपाधियों, सरकारी कामगाज के बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया।

असहयोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि प्रथम विश्वयुद्ध ; रॉलट एक्ट, जलियाँवाला बाग हत्याकांड तथा मॉण्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने तैयार की।

असहयोग आन्दोलन शीघ्र ही पूरे देश में फैल गया। विशेषकर पश्चिमी भारत, बंगाल तथा भारत में इसे अभूतपूर्व सफलता मिली। देश के विभिन्न भागों मे ंकपड़ों की होली जलाई गयी। विधान मण्डलों तथा सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं का बहिष्कार किया गया। इस आन्दोलन के विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पक्ष था इसमें किसानों तथा मजदूरों का शामिल होना।

सहयोग आन्दोलन ससफल होने के बावजूद राजनैतिक व सामाजिक कारणों से महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। इस आंदोलन में जाति बन्धनों, साम्प्रदायिकता, छुआछूत आदि कुप्रथाओं को।

पलामू में असहयोग आंदोलन

धनी सिंह खेरवार, हीरानंद ओझा, दुर्गानंद ओझा, विन्देशवरी पाठक, देव नारायण मेहता आदि कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेने के लिए पलामू से गये थे। वहाँ से आने के बाद उन्होनें असहयोग आंदोलन की पूरी रूपरेखा तैयार की। धनी सिंह खेरवार, जिसे 'पलामू का राजकुमार शुक्ल' कहा जाता है, गाँधीजी से मिले थे और उन्होंने किसानों की समस्याओं से उन्हें अवगत भी कराया था। गांधी जी ने उनसे कहा था कि 'कपास बोओ', चरखा चलाओं, कपड़ा बुनों, लगान बंदी करों, पलामू गोरो के अत्याचार से मुक्त हो जाएगा।

गाँधी जी के कहने पर देवकी प्रसाद सिंह ने कानून की पढ़ाई छोड़ दी, जो कलकत्ता में पढ़ाई कर रहे थे। डाल्टनगंज में राष्ट्रीय स्कूल की स्थापना की गई और बिन्देश्वरी पाठक को उसका हेडमास्टर बनाया गया। आगे चलकर यह स्कूल कांग्रेसी गतिविधियों का केन्द्र बन गया।

पलामू में असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में ताना भगत का महत्वपूर्ण योगदान था। वे जगह–जगह सभा कर रहे थे और अपने को गाँधीजी के सच्चे अनुयायी बता रहे है।

07 मार्च 1921 ई0 को राजेन्द्र प्रसाद ने डाल्टनगंज का दौरा किया। उन्होंने यहाँ एक जनसभा को संबोधित किया और लोगों को असहयोग आंदोलन के विचारों के बारे में बताया। इनके भाषण से लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जग गई। 1921 ई0 तक आंदोलन को अधिक बल मिलने लगा। पांकी, जपला और अन्य स्थलों पर राजनीतिक सभाएँ होने लगी।

पलामू के आयुक्त के निर्देश पर सहयोग आंदोलन के नेताओं की आवाजाही को नियंत्रित किया जाने लगा।

इस प्रकार बिहार छात्र संघ की पलामू ईकाई, जिला कांग्रेस किसान नेताओं एवं ताना भगतों ने मिल कर असहयोग आंदोलन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। इन नेताओं ने गाँव–कस्बों का दौरा किया। नेताओं ने गाँव–कस्बों तक दौरा किया। चरखा चलाने, खादी उपयोग, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार आदि। पलामू का असहयोग आंदोलन पूरे भारत में दिखने लगा।

हजारीबाग में असहयोग आंदोलन

असहयोग आंदोलन की प्रभाव हजारीबाग में ही देखने को मिला। यहाँ संत कोलम्बा कॉलेज के विद्यार्थियों ने इस आंदोलन मे मुख्य भूमिका निभायी। यहाँ के विद्यार्थियों ने शहर में न केवल आंदोलन का माहौल बनाया, बल्कि हड़ताल भी की।

हजारीबाग के कई नेता कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में शिरकत करने गये थे और उन्होंने वहाँ की घटना–चक्र से यहाँ के लोगों को अवगत कराया था। गाँधी जी के आह्वान पर कृष्ण बल्लभ सहाय, जो उस समय पटना में एम.ए और कानून की पढ़ाई कर रहे थे, अपनी पढ़ाई छोड दी और 1920 ई0 में असहयोग आंदोलन के सिपाही बन गये। कई वकीलों ने अपनी वकालत बंद कर दी। 1920 ई0 में जिला कांग्रेस कमेटी के गठन के साथ असहयोग आंदोलन को यहाँ और भी गति मिलने लगी।

1921 ई0 के शुरूआत में बिहार प्रांतीय कॉंग्रेस समिति द्वारा हजारीबाग में असहयोग आंदोलन के सफल संचालन का दायित्व बाबू बजरंग सहाय को दिये जाने के बाद इस आंदोलन ने और भी गति पकड़ ली। राजेन्द्र प्रसाद, भी हजारीबाग आये लोगो को संबोधित किया और भागीदारी की अपील की। सरला देवी ने भी यहाँ सभा कर चरखा और खादी के

प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए लोगों से अपील की। कई लोगों ने इनसे प्रभावित हुए। विदेशों वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। 5–6 अक्टूबर 1921 को बिहारी छात्र संगठन का 16वाँ अधिवेशन सरला देवी की अध्यक्षता में हजारीबाग में संपन्न हुआ। धनबाद और झरिया असहयोग आंदोलन के मुख्य केन्द्र थे।

पुलिस प्रशासन ने इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं बजरंग सहाय, कृष्ण बल्लभ सहाय, सरस्वती देवी, शालिग्राम सिंह, राम नारायण सिंह आदि को जेल भेज दिया। इन पर सरकार के विरूद्ध दुर्भावना एवं घृणा फैलाने का अभियोग लगाया गया था। जेल में कई कार्य कराये जाते थे। किसी से मिलने नहीं दिया जाता था। इस प्रकार छात्रों और नेताओं के सहयोग से यहाँ आंदोलन आगे बढ़ता रहा। वकीलों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी।

सविनय अवज्ञा आन्दोलन

साइमन कमीशन की असफलता, नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार किया जाना। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं अधिवेशन में पारित किया गये। पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी घटनाओं का क्रम काफी तेज हो गया। गाँधी जी द्वारा रायसराय के सम्मुख रखे गये। सूत्री मांग पत्र पर विचार न करने के कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन आवश्यक हो गया था। गांधीजी ने उस आन्दोलन के दौरान अहिंसात्मक ढंग से सरकार के प्रति असहयोग का रवैया अपनाया कालान्तर में इसे ही सविनय अवज्ञा आन्दोलन कहा गया।

आन्दोलन का कार्यक्रम – सविनय अवज्ञा आन्दोलन के तहत चलाये जाने वाले कार्यक्रम निम्न थे –

1. नमक कानून का उल्लंघन कर स्वयं द्वारा नमक बनाया जाये।
2. सरकारी सेवाओं, अदालतों, शिक्षा केन्द्रो एवं उपाधियों का बहिष्कार किया जाये।
3. महिलायें स्वयं शराब, अफीम एवं विदेशी कपड़े की दुकानों पर जाकर धरना दें।
4. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और उन्हें जला दिया जाये।
5. कर नही दिया जाए।

डाण्डी यात्रा

12 मार्च, 1930 को गाँधीजी 78 स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से 358 किमी0 दूर स्थित दाण्डी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन बाद 6 अप्रैल 1930 को दाण्डी पहुँच कर उन्होंने समुद्रतट पर नमक कानून को तोड़ा। इस प्रकार नमक कानून देश के कई भागों मे तोड़ा गया। नमक कानून इसलिए तोड़ा जा रहा था क्योंकि सरकार द्वारा नमक कर बढ़ा दिया गया था, जिससे रोजमर्रा के जरूरत की कीमत बढ़ गयी थी।

इस तरह यह आंदोलन व्यापक रूप से पूरे भारत मे फैल गया। महिलाये पर्दे से बाहर आकर सलाग्रह में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, विदेशी कपड़े जलाए गए, शराब दुकान पर धरना आदि।

झारखण्ड में नमक सलाग्रह

दांडी की घटना का आसर झारखण्ड में भी दिखा। 13 अप्रैल 200 लोगों ने 50 स्थानों पर नमक बनाया। प्रशासन चूल्हें तोड़ती रही, बर्तन उठा कर ले जाती रही, नेताओं की गिरफ्तारी होती रही, परन्तु नमक सत्याग्रह नही रूका। सरकार को गाँधी के आंदोलन की भनक पहले ही लग चुकी थी, इसलिए 6 मार्च 1930 को भारत सरकार के गृह सचिव ने बिहार–उड़ीसा की सरकार को पत्र भेज कर कांग्रेस के पत्राचार को सेंसर करने, नेताओं पर कड़ी नजर

रखने, जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ कारवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। इसके बाद भी लोगों ने नमक कानून को तोड़ा। झारखण्ड में इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व था। पहली बार घर से बाहर निकल कर महिलाओं ने कार्यक्रम का संचालन किया और गिरफ्तारियाँ दी। इस आंदोलन के दौरान बिहार से जिन महिलाओं को राजनीतिक अभियोग लगा कर गिरफ्तार किया गया था। उसमें से प्रथम तीन झारखण्ड की थी। 1. सरस्वती देवी, जिन्हें 6 माह की सजा हुई, वह हजारीबाग जिला कांग्रेस की अध्यक्षा थी। 2. साधना देवी संथाल परगना की एक राष्ट्रकर्मी थी। 3. मीरा देवी थी, जिनका कार्यक्षेत्र गिरिडीह अनुमंडल था, संत कोलम्बा कॉलेज के एक प्रोफेसर की पुत्री थी। साधना देवी भी इसी कॉलेज के एक प्रोफेसर की पुत्री थी।

हजारीबाग में सविनय अवज्ञा आंदोलन का संक्षिप्त इतिहास

असहयोग आंदोलन के समाप्ति के बाद भी हजारीबाग राजनीति का लगातार केन्द्र बना रहा। यहाँ के कांग्रेसी नेता नियमित रूप से कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं के संपर्क में रहे और उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग भी लिया। राम नारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और बजरंग सहाय की चर्चा राज्य स्तर पर होने लगी। हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में कई बड़े नेता बंद थे। दूसरी ओर महात्मा गांधी ने 1925 ई0 में रामगढ़, मांडू और हजारीबाग का दौरा किया था और यहाँ के जन मानस को साम्प्रदायिकता और क्षेत्रवाद जैसी बुराइयों को दूर करने की अपील की थी। प्राचार्य ए.एफ. मार्खम के आग्रह पर वे संत कोलम्बा कॉलेज आये और यहाँ होटले हॉल में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए चरखा, खादी, ग्रोमोत्थान तथा सामाजिक सेवा के महत्व पर बल दिया था। 1929 ई0 के लाहौर अधिवेशन ने यहाँ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का संचार कर दिया था।

इस प्रकार हजारीबाग जिले का जनमानस किसी भी आंदोलन के लिए तैयार था। 1930 ई0 में जब गाँधी जी नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरूआत की तो यहाँ का जनमानस इस आंदोलन के साथ जुड़ गया। कृष्ण बल्लभ सहाय ने खजांची तालाब के निकट नमक बना कर नमक कानून को तोड़ा। नमक सलाग्रह के लिए यहाँ 4 हजार से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवक तैयार थे, जिन्होंने जगह–जगह नमक कानून को तोड़ा एवं चौकीदारी करके भुगतान का बहिष्कार किया। पुलिस नमक कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सरकारी अधिसूचना के अनुसार 'नमक कानून 1882' की धारा अन्तर्गत छोटानागपुर क्षेत्र इस एक्ट के दायरें से बाहर था।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार इचाक, इटखोरी और बरही थाना क्षेत्र में चौकीदारी का न देने का आंदोलन जोर पकड़ने लगा था। जगह–जगह सभाएं होने लगी और नेताओं ने अपने भाषण में लोगो से चौकीदारी कर देने की अपील की।

राजेन्द्र प्रसाद सहित कई नेताओं को हजारीबाग जेल में रखा गया था। महिला नेत्रियों की गिरफ्तारी के बाद बिहार से हसन इमाम की पत्नी एवं पुत्री सामी तथा गौरी पास को हजारीबाग भेजा गया। सितम्बर 1930 तक हजारीबाग से 137 नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था।

ब्रिटिश सरकार की नीति थी कि आंदोलन को कुचल दिया जाये और जुलुस एवं सभा पर रोक लगा दी जाये। परन्तु जन दबाव के कारण जिला प्रशासन इसे कठोरता से लागू नही कर पा रहा था। ग्रामीण अंचलों में भी सभाएं होने लगी थी और इसमें जन भागेदारी भी बढ़ रही थी। ऐसी कई सभाएं बेरमों, चैनपुर, गिरिडीह, बगोदर, हंटरगंज, प्रतापपुर आदि स्थानों से हुई, जिसे कृष्ण बल्लभ सहाय, बजरंग सहाय सरस्वती देवी जैसे नेताओं ने संबोधित किया। लोगो से चरखा, खादी आदि पर चर्चा की जाती थी। गिरिडीह और चतरा में खादी प्रदर्शनी सह मेला का आयोजन किया गया। इस मेला में तहसीलदार ने राम नारायण सिंह और कृष्णबल्लभ सहाय को कांग्रेस का झंडा फहराने से रोक दिया। बाद में इसका विरोध किया गया। कई गांवों के लोग अपने मे बैठक करके गांधीजी की राह पर चलने की कसमे खाते थे। ताना भगतों की तरह संथाल भी सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ गये थे। आंदोलन लोकप्रिय हो रहा था। इन सभाओं में सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद आदि जैसे नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए।

इस तरह आंदोलन चलता रहा। 1934 ई0 तक पूरे हजारीबाग में आंदोलन शांत हो चुका था।

राँची में सविनय अवज्ञा आंदोलन

असहयोग आंदोलन के बाद की घटनाओं एवं 1924 ई0 में गांधीजी की यात्रा ने राँची ने जनमानस और वहाँ के नेताओं को पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया था। जब गाँधीजी ने नमक सत्याग्रह की घोषणा की तो यह वर्ग उसमें सक्रिय हो उठा। 17 सितम्बर को 1924 को गांधी जी ने राँची में महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया और देशबंधु कोष में योगदान मांगा।

1929 के लाहौर अधिवेशन में लिये गये निर्णय के आलोक मे राँची में भी 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर एक जुलूस निकाला गया, 'वंदे मातरम्' गाया गया।

दूसरी ओर राँची में गठित 'तरूण संघ' तथा 'ब्रह्मचर्य विद्यालय' के स्वामी सत्यानंद गिरि, क्षितिज चंद्र बोस, विजोय कृष्ण दत्ता ने भी विद्यार्थियों से सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए तैयार रहने की अपील की।

6 अप्रैल, 1930 को नमक कानून तोड़ कर आंदोलन शुरू की, लोग उससे जुड़ गये। राँची, सिल्ली, गुमला में जगह–जगह सभाओं का दौर शुरू हो गया और कई नेता इस आंदोलन में भाग लिए। नमक बनाने के लिए देवकी नंदन लाल ने 500 स्वयंसेवकों का दल तैयार किया था। उन्होंने राँची में एक सभा की और लोगों से नमक बनाने मे सहयोग की अपील की। उन्हें सभा में भाषण देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पूरे छोटानागपुर की नमक कानून के दायरे से मुक्त रखा गया था, अतः नमक बनाने पर पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती थी।

15 अप्रैल को जवाहरलाल नेहरू की गिरफ्तारी का राँची और बुंडू में विरोध हुआ, प्रदर्शन किया गया, जुलूस निकाली गयी एवं हड़ताल बुलायी गयी। राँची के वकील भी आंदोलन में शामिल हुए।

4 मई 1930 को गांधीजी गिरफ्तारी के विरोध में राँची, मांडर आदि स्थानों पर पूर्ण हड़ताल रहा। कई नेता गिरफ्तार हुए। ऐसे नेताओं में पी.सी. मिश्रा, क्षितिज चन्द्र बोस, नागरमल मोदि आदि थे। इन नेताओं पर अत्याचार हुए। इसके बाद सरकार विरोधी जुलूस और किसी भी प्रकार की राजनीतिक बैठक पर प्रतिबंध लगा दिया गया। आगे चलकर यह आंदोलन अब गांवों की जमीन तक पहुँच चुका था। अब सरकार ने निर्णय ले लिया कि वह आंदोलन को कुचल डालेगी, अतः उसने कई ऐसे अध्यादेश लाये। गिरफ्तारी हुई कई नेताओं का बाद में रिहाई। आंदोलन शांत होने पर।

भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 ई0

भारत छोड़ो आन्दोलन जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। यह आंदोलन ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ भारतीयों की अंतिम लड़ाई थी। मार्च 1942 ई0 में क्रिप्स मिशन की असफलता और जापान के सम्भावित आक्रमण ने गांधीजी को सरकार के प्रति अपनी नीति में मूलभूत परिवर्तन लाने पर मजबूर कर दिया। युद्ध के कारण बढ़ती कीमतों और जरूरी वस्तुओं के अभाव से जनसाधारण में बेहद असंतोष बढ़ रहा था। भारतीय सोचने लगे कि अगर जापानी हमला हुआ तो अंग्रेज यहाँ भी उसी तरह विश्वासघात करेंगे। गांधी ने स्पष्ट कहा कि ''भारत में अंग्रेजो की उपस्थिति जापान को भारत पर आक्रमण करने का एक आमंत्रण है और उनकी वापसी पर यह सन्ताप भी समाप्त हो जायेगा।'' कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने वर्धा में 14 जुलाई, 1942 ई0 को संघर्ष के निर्णय को अपनी स्वीकृति दे दी। 8 अगस्त 1942 ई0 को ग्वालिया टैंक मैदान बम्बई में भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भी भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधीजी ने अंग्रेजो को यहाँ से चले जाने और 'भारत को भगवान भरोसे छोड़ने' के लिए कहा। उन्होंने सभी वर्गो को प्रोत्साहित किया कि वे आन्दोलन में भाग लें। उन्होंने जोर देकर कहा ''प्रत्येक भारतीय को जो आजादी चाहता है और उसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अपना अगुआ स्वयं बनना चाहिए''। उनका नारा था कि, 'करो या मरो' इस तरह 'भारत छोड़ो आन्दोलन' शुरू हो गया। सरकार आंदोलन

को कुचलने की पूरी तैयारी कर रही थी। 9 अगस्त गाँधीजी के अलावा कई बड़े नेता गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना से देश के कई भागों में जुलूस, हड़ताल और प्रदर्शन हुए।

इस आंदोलन की प्रत्येक पृष्ठभूमि की जानकारी झारखण्ड के कांग्रेसी नेताओं की थी, क्योंकि डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद, कृष्ण वल्लभ सहाय आदि। बिहार कांग्रेस कमेटी भी सक्रिय थी। जनता आंदोलन के लिए तैयार बैठी थी और सरकार दमन के लिए। सरकार ने 9 अगस्त, 1942 को बिहार गजट का एक असाधारण अंक प्रकाशित करके कांग्रेस और उससे संबंध सभी कमेटियों को गैर–कानूनी घोषित कर दिया। कई नेता कि गिरफ्तारी हुई। आंदोलन चलते रहे और लगभग एक वर्ष तक चला और कई परिवर्तन देखने को मिले।

हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन

हजारीबाग भारत की राजनीति का एक प्रमुख केन्द्र भारत छोड़ों आंदोलन के पहले ही बन चुका था। यहाँ के प्रमुख कांग्रेसी नेताओं कृष्ण बल्लभ सहाय एवं राम नारायण सिंह का कांग्रेस पार्टी में महत्व एवं उसके अधिवेशनों में इनकी उपस्थिति था। दूसरा केन्द्रीय जेल, जहाँ देश के कई बड़े नेता बंद थे। यह जेल क्रांतिकारी विचारो, रणनीतियों और किसानों–मजदूरों की आवाजों का प्रसिद्ध केन्द्र बन गया था।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना जैसे ही हजारीबाग पहुँची, इसके विरोध मे हड़ताल एवं प्रदर्शन के दौर शुरू हो गये एवं कई बड़े नेताओं की गिरफ्तारी होने लगी। 9 अगस्त को राम नारायण सिंह और उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया और दोनो को केन्द्रीय कारागार में रखा गया।

11 अगस्त को सरस्वती देवी गिरफ्तारी के बाद छात्रों ने मोर्चा संभाला और कई प्रदर्शन हुए। संत कोलम्बा कॉलेज के छात्रों ने जुलूस निकाला। कई गिरफ्तारी हुई।

कोडरमा में भी आंदोलन का काफी असर रहा। 16 अगस्त को तिलैया बाजार पूर्णतः बंद रहा। कोडरमा में एक बड़ी जुलूस निकाली गयी। स्टेशन पर पहुँच कर जुलूस उग्र हो गयी। कई उपद्रव हुए, स्टेशन में आग लगा दी, तार काट डाले और डाकखाने के कुछ कागजातों को जला डाला।

अगस्त के बाद सरकार भले ही यह सोचती थी कि आंदोलन शांत हो गया है, परन्तु ऐसा वास्तव में नहीं था। अभी भी कई नेता पुलिस की पकड़ से बाहर थे और वे छिटपुट आंदोलन कर रहे थे। हंटरगंज में कर न चुकाने का आंदोलन चला। गिरिडीह में थाना के कर्मचारियों से लाग–पत्र देने का आग्रह किया गया और उच्च विद्यालय पर इस्तेहार चिपकाये गये। इस तरह हजारीबाग भी इस आंदोलन से जुड़ा रहा।

हजारीबाग जेल ब्रेक घटना

हजारीबाग केन्द्रीय कारागार में एक अप्रत्याशित घटना घटी। 6 नवम्बर, 1942 को जय प्रकाश नारायण और उनके साथियों ने जेल से भागने की योजना बनायी। उसका रिहर्सल किया गया। एक के पीठ पर दूसरे को चढ़कर सीढ़ी बनायी गयी। सुरक्षा प्रहरियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस तरकीब से 9 नवम्बर 1942, को दीपावली की काली अंधेरी रात जेल से अपने पांच साथियो– राम नंदन मिश्र, योगेन्द्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, शालिग्राम सिंह (हजारीबाग) और गुलाबी सोनार के साथ जयप्रकाश नारायण 53 धोतियों की सहायता से जेल की दीवार को फांद कर भाग गये। यहीं से भाग कर जय प्रकाश नारायण ने 'भूमिगत आंदोलन' चलाया और अंग्रेजो के दांत खट्टे कर दिये। जेल प्रशासन के लिए यह शर्मनाक घटना थी। जेल में बंद रामनारायण सिंह पर इस घटना का आरोप मढ़े की कोशिश की गयी। इस 'जेल ब्रेक' की घटना के बाद रामनारायण सिंह, कृष्ण बल्लभ सहाय और सुखलाल सिंह को भागलपुर जेल स्थानांतरति कर दिया गया। भागे हुए नेताओं पर इनाम की घोषण की गयी, परन्तु इनकी सूचना किसी ने पुलिस को न दी।

धीरे–धीरे आंदोलन शांत हो गया। इस आंदोलन के दौरान हजारीबाग से 662 लोागें को गिरफ्तार किया गया और 205 लोागें को सजा दी गयी।

रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन, 1940

द्वितीय विश्वयुद्ध के समय ही 1940 ई0 में रामगढ़ में कांग्रेस के अधिवेशन का आयोजन किया गया था। जिस समय कांग्रेस के इस 53वें अधिवेशन की तैयारी की जा रही थी, उसी समय जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था और इंग्लैंड और फ्रांस ने उसके विरूद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। झारखण्ड की धरती पर होने वाला यह कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन था। यह अधिवेशन 19–20 मार्च को संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता निर्वाचित अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद ने की। मौलाना आजाद का लगाव पहले से ही छोटानागपुर की धरती से था। 1916 ई0 से 1919 ई0 की अवधि में वे रांची में नजरबंद थे। इस अधिवेशन में मौलाना आजाद के अतिरिक्त, महात्मा गांधी, खान अब्दुल गफार खान, जवाहर लाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राजेन्द्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, जमना लाल बजाज जैसे राष्ट्रीय नेता शामिल हुए थे।

राजेन्द्र प्रसाद से रामनारायण सिंह मिले। उन्होने आग्रह किया कि इस अधिवेशन छोटानागपुर में किया जाये। इस जगह के लिए काफी विचार–विमर्श किया गया था। राजेन्द्र प्रसाद और रामनारायण के विचार से अंत में हजारीबाग जिले के रामगढ़ को ही पसंद किया। रामगढ़, हजारीबाग और रांची के बीच स्थित था तथा सड़क एवं रेल दोनों यातायात साधनों द्वारा यहाँ पहुँचा जा सकता था। नेताओं ने रामगढ़ पहुँचने के लिए इन्हीं साधनों का भरपूर उपयोग किया। गांधीजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतरे थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद राँची रोड स्टेशन पर, जहाँ से कार्यकर्त्ता उन्हें धूम–धड़ाके के साथ कार्यक्रम स्थल पर लाये थे। बिजली और पानी का आदि का व्यवस्था किया गया था। स्वागत समिति का अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद, उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण सिंह एवं डॉ0 सैयद महमूद बनाये गये थे। महासचिव–अनुग्रह नारायण सिन्हा को रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के प्रस्ताव।

इस अधिवेशन को लेकर कांग्रेस कार्यकारिणी भी 28 फरवरी से एक मार्च के बीच पटना मे बैठी थी। इस बैठक मे गांधी जी और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी उपस्थित थे। इसमें रामगढ़ अधिवेशन के प्रस्ताव को तैयार किया गया। जो निम्न है –

1. कांग्रेस इस द्वितीय विश्वयुद्ध से स्वयं को अलग करते हुए इसमें भारतीय सैनिकों एवं धन–जन को भेजे जाने का घोर विरोध करती है।

2. भारत की सम्प्रभुता उसकी जनता में निहित होगी। अतः देशी राज्यो या विदेशी न्यस्त स्वार्थो को भारत की स्वतंत्रता के मार्ग में आने का कोई अधिकार नहीं है।

3. कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को और भी कोई प्रस्ताव एवं कार्रवाई को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

4. पूर्ण स्वाधीनता से कम कोई दूसरी बात भारतीय जनता को स्वीकार नहीं है। ब्रिटिश साम्राज्यवाद की धुरी में स्वाधीनता संभव नहीं है।

5. भारतीय जनता स्वयं अपना संविधान बना सकती है और दुनिया के देशों से अपने संबंध वह स्वयं निर्धारित करेगी। संविधान निर्मात्री सभा का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।

6. कांग्रेस धर्म, जाति, सम्प्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर देश के लोगों की सेवा करने की आकांक्षी है। कांग्रेस की इच्छा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए। अतः सभी लोग संघर्ष में भाग लेंगे और जन जागृति करेंगे।

7. कार्यकारिणी अखिल भारतीय कांग्रेज कमेटी को और भी कोई प्रस्ताव एवं कार्रवाई को करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिवेशन से पूर्ण रामगढ़ में 15 मार्च से 18 मार्च को हुई कांग्रेस कमेटी की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया। इस बीच निर्वाची समिति की बैठक भी हुई और कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये।

झारखण्ड आंदोलन

अलग राज्य बनने का मुख्य उद्देश्य वहाँ के लोगो की उपेक्षा असमानता और पिछड़ेपन को दूर करना है। इन्हीं बातों को लेकर आंदोलन अलग राज्य बनाने के लिए होते है। जब राज्य का गठन हो जाता है, तो यह आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। किन्तु अलग झारखण्ड राज्य के लिए आंदोलन इससे अलग रहा है। किसी एक कारण ने इसे जन्म नहीं दिया है और न ही इसके स्वरूप का निर्धारण किया है। झारखण्ड आंदोलन को कई संगठनो ने इसका नेतृत्व किया एवं गति प्रदान की। 14 नवम्बर, 2000 की आधी रात अर्थात् 15 नवम्बर को बिरसा मुंडा की जन्म तिथि के अवसर पर भारत के मानचित्र पर 28वें राज्य के रूप में 'झारखण्ड' का उदय हुआ। लेकिन आज भी झारखण्ड के लोगों का सपना पूरा नहीं हुआ, झारखण्ड राज्य बनने के बाद। बस यही हुआ कि यहाँ के लोगों का शासन–प्रशासन में भागीदारी बढ़ गयी है। स्थानीय लोगों का नौकरी मिलने लगी है।

आंदोलन के कारण –

झारखण्ड आंदोलन को दिशा देने में सैकड़ों शिक्षाविदों, समाजसेवियों और राजनेताओं का सहयोग रहा है। इन्होने आंदोलन पर न केवल अपने विचार व्यक्त किये है, बल्कि कई ने ग्रंथ भी लिखें है और झारखण्ड आंदोलन के कारणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। झारखण्ड आंदोलन के नेता रहे पूर्व सांसद शैलेन्द्र महतो ने इस आंदोलन के 6 कारण बताये है–

1. बिहार मंत्रिमंडल में झारखण्ड क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपेक्षा।
2. प्रमुख पदों पर गैर–झारखडियों का दबदबा।
3. झारखण्ड की प्राकृतिक–भौतिक संपदा पर गैर–झारखंडियों का नियंत्रण
4. सरकारी–गैर सरकारी परियोजनाओं में विस्थापन
5. झारखण्डी संस्कृति पर बंगाली–बिहारी–ओडिशा संस्कृतियों का आरोहण तथा
6. झारखण्डी अस्मिता पर संकट।

दूसरी ओर प्रो. अमर कुमार सिंह के अनुसार 'अलग झारखण्ड आंदोलन औपनिवेशिक सत्ता के खिलाफ झारखण्ड क्षेत्र में हुए आंदोलनों का ही विस्तार था। ब्रिटिश आर्थिक शोषण ने जो पृष्ठीभूमि तैयार की, उसी को आधार बना कर अलग आंदोलन की नींव डाली गयी। और यह आंदोलन झारखण्ड में धन एवं गरीबी, झारखण्ड क्षेत्र का उत्तर बिहार की अपेक्षा अंसतुलित विकास, विस्थापन तथा उससे होने वाली हानियाँ तथा आदिवासियों का क्रमिक विनाश से उत्पन्न असंतोष का परिणाम था' दूसरे शब्दों में झारखण्ड आंदोलन झारखण्ड के आंतरिक उपनिवेशीकरण के खिलाफ आंदोलन था। पदमश्री बलवीर दत्त ने भी झारखण्ड आंदोलन के कई कारण बतायें है। कुछ कारण औपनिवेशिक शासन की देन हैं और कुछ आजाद भारत की राजनीतिक शासन प्रणाली की देन है।

झारखण्ड का गठन

अलग झारखण्ड का गठन छोटानागपुर–संथाल परगना के तत्कालीन 18 जिलों मिला कर किया गया था। इसका क्षेत्रफल 79714 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया, जो विभाजित बिहार के कुल क्षेत्रफल का 46.6 प्रतिशत था। नवगठित राज्य की आबादी 26945829 थी। जिन जिलों का बिहार में शामिल किया गया था, उनके नाम पलामू गढ़वा, लोहरदगा, गुमला, राँची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद बोकारो (सभी छोटानागपुर क्षेत्र) पाकुड़, देवघर, दुमका, गोड्डा तथा साहेबगंज (सभी संथाल परगना क्षेत्र) हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के तेज तर्रार ऑफिसर वी. एस. दुबे को राज्य का पहला मुख्य सचिव बनाया गया, जबकि पहला पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैसे बने। राँची राज्य की राजधानी बनी और दुमका को उपराजधानी का दर्जा दिया गया। झारखण्ड के राज्यपाल के पद पर प्रभात कुमार की नियुक्ति की गयी थी। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बनाये गये। झारखण्ड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह कड़ी सुरक्षा के बीच 14 नवम्बर की आधी रात के बाद राजभवन के खुले प्रांगण के भव्य मंडप में संपन्न हुआ, जहाँ मुख्यमंत्री ने शपथ ली। प्रोटेम स्पीकर वरिष्ठ विधायक विशेश्वर खाँ चुने गये। अगले दिन जदयू के डाल्टनगंज विधायक इंदर सिंह नामधारी को सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी, जो झारखण्ड मुक्ति मोर्चा के विधायक थे निर्वाचित हुए। झारखण्ड में एक सदनीय व्यवस्थापिका थी।

****